

न्यायालय आर्बीट्रेटर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़  
पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़ (आई.ए.एस.)

162

मिसल नं०: 09/2021/रेफरेंस

तारीख दायरा 02.12.2021

लक्ष्मीबाई पत्नी जगदीश चन्द जाति कुल्मी निवासी जूनाखेड़ा तहसील असनावर  
जिला झालावाड़

बनाम

01.भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी)झालावाड़

02.नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे

ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया,इन्द्रा विहार कोटा राज0

रेफरेंस बाबत उचित अनुमान के आधार पर मुआवजा निर्धारण करने के लिये

उपस्थित :श्री जितेन्द्र सोनी अभिभाषक रेफरेंसकर्ता

श्री अभिनव जैन अभिभाषक एनएचएआई



दिनांक: 05/03/24

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि कोटा से प्रकाशित राजस्थान पत्रिका में दिनांक 26.09.2017 प्रकाशित अधिसूचना के तहत प्रार्थीगण/हितकारी की भूमि अवाप्त की गई है। प्रश्नगत आराजी का0आ0 1119(अ) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (01) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राजमार्ग 52) के 318.500 किमी से 346.540 किमी तक के भूखण्ड (दरा तीनधार सेक्सन) के निर्माण (चोड़ीकरण/चारलेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध व प्रचालन के लोकप्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि चाही है। इसके अनुसरण में दिनांक 26.07.2017 को पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत प्रार्थीगण हितकारीगण की भूमि उक्तानुसार अर्जन सीमा में आ रहीं है व इसके साथ ही इसके अनुसरण में ही दिनांक 26.09.2017 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत प्रार्थीगण हितकारीगण की भूमि खसरा नं० 54/2485 की 0.2667 है0 भूमि उक्तानुसार अर्जन सीमा में आ रही है। प्रश्नगत आराजी झालावाड़ जिला मुख्यालय व झालरापाटन सिटी के निकट हैं तथा आबादी के मास्टर प्लान में समाहित है।

प्रश्नगत आराजी के संबंध में तहसीलदार झालरापाटन ने अपने पत्रांक दिनांक 11.09.2017 द्वारा अपना प्रतिवेदन भिजवाया जिसके अनुसार आवेदन पत्र में अंकित भूमि खसरा नं० 54/2485 के संदर्भ में लिखा है कि भूमि मोकें पर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जा रही है एवं चाह से सिंचित होती है। भूमि से लगभग 50-60 मीटर दूर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमियां हैं। प्रश्नगत आराजी में वर्ष में 02 बार फसलें बोई जाती है। पत्र के अनुसार मुआवजे का निर्धारण सिंचित भूमि अनुसार एवं बाजार मूल्य का न्यायोचित निर्धारण नहीं किया गया है। प्रश्नगत आराजी परिक्रमा रोड पर स्थित है जहां पर न्यायिक न्यायालय, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य राजकीय विद्यालय स्थित है तथा न0पा0 झालनापाटन टाउन प्लान 2031 के अन्तर्गत दर्शाया गया है।इसलिए मुआवजे का निर्धारण बाजार भाव से 04 गुना एवं 30 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाना न्यायोचित है।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी झालावाड़ के द्वारा तैयार कर माननीय न्यायालय भू0अ0पु0पु0 प्राधिकरण जयपुर के निर्णय दिनांक 06.02.2020 के क्रम में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार आर्बीट्रेटर की हेसियत से इस न्यायालय को होने के फलस्वरूप वास्ते सुनवाई प्रतिप्रेषित किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते जवाब एनएचएआई कोटा रखा गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई कोटा ने जर्गे अधिवक्ता अपना जवाब रेफरेंस दिनांक 6.09.2022 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है जिसकी प्रति वकील रेफरेंसकर्ता को उपलब्ध कराई गई। पत्रावली वास्ते बहस उभयपक्ष रखी गई।

4.2.11.17  
जिला कलक्टर  
झालावाड़

पत्रावली में वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी वकील एनएचएआई की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में इस्तदुआ की कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में मोकें की स्थिति, भोगोलिक दशाओं एवं बाजार में प्रचलित दरों को मध्यनजर रखते हुए अवाप्त की गई भूमियों का मुआवजा निर्धारित किया जावे। तत्पश्चात वकील अप्रार्थी एनएचएआई की बहस सुनी गई। जिरह में अवगत करया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रायल नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या

12 नया 52 के 318.500 किमी से 346.540 किमी दरा तीनधार सेक्सन तक भूखण्ड निर्माण चोड़ाकरने/फोरलेन बनाने प्रयोजनार्थ राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 03 के खण्ड क के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों की पालना करने के लिए केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन विभाग ने उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ को मनोनित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या का0आ0 1119( ए) दिनांक 07.04.2017 को जारी की गई जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख अखबारों में क्रमशः दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में 26.04.2017 को किया गया, के द्वारा भूमि अर्जन किया गया धारा 3ए के प्रावधान अनुसार लोकहित एवं सार्वजनिक हित में उक्त धारा का उपयोग किया गया है।

163

उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3ए के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के विरुद्ध कोई हितधारी 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी सुनवाई के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को अपने आदेश में स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है तथा प्रश्नगत आपत्तियों पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य है। जैसाकि अधिनियम 1956 की धारा 3सी के अन्तर्गत प्रावधान है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिन व्यक्तियों द्वारा अधिनियम की धारा 3सी के अन्तर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की गई है उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा उक्त आपत्तियां सुनने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों अनुसार निस्तारण किया गया है। अधिनियम 1956 की धारा 3डी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के संबंध में प्रावधान दिये गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया 52) के 318.500 किमी से 346.540 किमी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3सी के अन्तर्गत प्राप्त समस्त आक्षेपों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई है जिसके पश्चात सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना का0आ0 2140(अ) दिनांक 6.7.2017 एवं अधिसूचना 3057(अ) दिनांक 15.09.2017 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण क्रमशः निम्नानुसार किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है: खसरा नं0 54/2485 की 0.0126 हेक्टेयर एवं खसरा नं0 54/2485 की 0.1574 हेक्टेयर, खातेदार लक्ष्मीबाई पत्नी जगदीश चन्द जाति कुल्मी सा0देह खातेदार है जो ग्राम जूनाखेड़ा तहसील असनावर जिला झालावाड़ में स्थित है जो केन्द्र सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। अधिनियम की धारा 3डी (1) के अन्तर्गत तथा घोषणा के प्रकाशन के बाद अधिग्रहित की गई भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी शामिल है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनोती नहीं दी जा सकती।

अधिनियम की धारा (एफ) के अनुसार धारा 3घ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रखरखाव अथवा उससे सम्बंधित अन्य कोई भी कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी में अधिग्रहित की गई भूमियों का मुआवजा तय करने का प्रावधान है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि हितधारियों का मुआवजा तय करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी संबंधित हितधारी को 15 दिन का नोटिस जारी करके आपत्तियां पेश करने हेतु और उनका निस्तारण कर मुआवजा तय करके अवार्ड पारित करता है उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी झालावाड़) द्वारा अवाप्त भूमि के संबंध में अवार्ड निर्णय दिनांक/भू0आ0/17/3382 दिनांक 19.09.2017 एवं 3797 दिनांक 09.11.2017 को पारित किया गया है।

19.11.17  
5/3  
जिला कलक्टर  
झालावाड़

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की धारा 3जी में दिये गए निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 1913 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके पर स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किश्म, सड़क सीमा के पास या दूर,

उपपंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(एच)(1) के तहत अर्वाड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सक्षम प्राधिकारी को कर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्तशुदा भूमि की किमत का निर्धारण करने के लिए कार्यालय के पत्र संख्या 1493-94 दिनांक 04.07.2017 एवं 3411-12 दिनांक 25.09.2017 को उपपंजीयक झालरापाटन को लिखा गया। उपपंजीयक झालरापाटन को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि की निर्धारित बाजार दर प्रमाणित प्रति हेतु पत्र लिखे जाने पर उनके द्वारा दिनांक 15.09.2017 एवं 27.09.2017 को अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए की दिनांक के बाजार मूल्य (डीएलसी) प्राप्त हुई। उपपंजीयक द्वारा भूमि की दर एच/एसएच/अन्य मुख्य सड़क से दूरी तक के संदर्भ में जो भूमि की कीमत किश्म के अनुसार दी गई थी उसे ही अवाप्तशुदा भूमि की कीमत माने जाने का निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है जो विधी के प्रावधानों के अन्तर्गत सही व उचित किया गया है। डीएलसी का निर्धारण विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा किया जाता है जिसमें प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, उसकी भोगोलिक स्थित, बाजार भाव, शहर व सड़क से दूरी इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखा जाता है।

इस संदर्भ में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 6 विभाग) की अधिसूचना संख्या प1(3) राज.6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्ताव परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पेकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाता है वह निम्नानुसार है:

नाम तहसील	ग्राम का नाम	न0पालिका क्षेत्र सीमा से दूरी	गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे
झालरापाटन	झालरापाटन	0किमी	1.00

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी) के तहत अवाप्त भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व अधिनियम की धारा 3(जी) में दिये गए निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण (solatium) वृद्धि की जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम झालरापाटन तहसील झालरापाटन में स्थित अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित डीएलसी के मुताबिक अर्वाड निर्णय क्रमांक/भूआ0/17/3382 दिनांक 19.09.2017 द्वारा निर्धारित की गई जिसका ब्योरा निम्नानुसार है:

क सं	भूस्वामियों/ हितवद्ध व्यक्तियों के नाम व पते	तालुका का नाम	गांव का नाम	खसरा नं	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति		उडी में प्रकाशित रकबा हैक्टेयर	न0पा0 क्षेत्र से दूरी	एनएच/मेग 1 हाईवे व एसएच से दूरी
						जमाबंदी अनुसार	खसरा गिरदावरी व सिंचित प्रमाण पत्र अनुसार सिंचित/असिंचित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	लक्ष्मीबाई पत्नी जगदीश चन्द कुल्मी सा0खातेदार	झालरा पाटन	झालरा पाटन	54/24 85	निजी	बीड	असिंचित	0.2667	0 किमी	200 मी से अधिक

दर प्रति हैक्टेयर	भूमि का मूल्यांकन राशि रूपया कालम 9x12	आरएफसीटीए लआरआर 2013 की धारा 26(2) के अनुसार गुणक	आरएफसीटीए लआरआर 2013 की प्रथम अनुसूची के क्रम 3 के अनुसार कालम 13x14	आरएफसीटीएलआर 2013 की प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 4 के अनुसार (वृक्ष व संरचना धारा 29 के अनुसार )	आरएफसीटीएल आरआर 2013 सोलोषियम धारा 30(1) कालम (15+16x100 %)	आरएफसीटीएलआर आर 2013 सोलोषियम धारा 30(3) के अन्तर्गत 12 प्रतिशत देय राशि कालम (13 x 12% x146/365)	कुल देय मुआवजा योग कालम (15+16+1 7+18)	वि0 वि0
12	13	14	15	16	17	18	19	20
2542229	678012	1.00	678012	0	678012	32545	1388569	

4/11/17  
5/3  
जिला वकिल  
झालरापाटन

इसी प्रकार अवार्ड निर्णय 3797 दिनांक 09.11.2017 के द्वारा निम्नानुसार निर्धारण की गई:-

165

क सं	भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम व पते	तालु का का नाम	गांव का नाम	खसरा नं	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति		उड़ी में प्रकाशित रकबा हेक्टेयर	न0पा0 क्षेत्र से दूरी	एनएच / पेग 1 हाईवे व एनएच से दूरी
						जमाबंदी अनुसार	खसरा परिवर्तनी व स्थित प्रमाण पत्र अनुसार स्थित / अस्थित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	लक्ष्मीबाई पत्नी जगदीश चन्द कुल्मी पाटीदार नि0 खातेदार	झाल रापा टन	झाल रापा टन	54 / 2485	निजी	बीड	असिंचित	0.1574	0 कि मी	200 मी से अधिक

दर प्रति हेक्टेयर	भूमि का मूल्यांकन राशि रूपया कालम 9x12	आरएफसीटीए लआरआर 2013 की धारा 26(2) के अनुसार गुणक	आरएफसीटीए लआरआर 2013 की प्रथम अनुसूची के कम 3 के अनुसार कालम 13x14	आरएफसीटीएलआर 2013 की प्रथम अनुसूची की कम संख्या 4 के अनुसार (वृक्ष व संरचना धारा 29 के अनुसार )	आरएफसीटीएल आरआर 2013 सोलोषियम धारा 30(1) कालम (15+16x100 %)	आरएफसीटीएलआर आर 2013 सोलोषियम धारा 30(3) के अन्तर्गत 12 प्रतिशत देय राशि कालम (13 x 12% x146/365)	कुल देय मुआवजा योग कालम (15+16+ 17+18)	कि0 कि0
12	13	14	15	16	17	18	19	20
2542229	400147	1.00	400147	0	400147	17497	817791	

इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 07.04.2017 में अंकित ग्राम झालरापाटन की निम्नानुसार डीएलसी दर के आधार पर विधी के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण किया गया है।

नाम तहसील	ग्राम का नाम	डीएलसी दर प्रति बीघा राजमार्ग से दूरी(मीटर)(राशि रूपया) दिनांक 07.04.2017	प्रतिबीघा से हेक्टेयर में परिवर्तित डीएलसी दर दूरीमीटर(राशि रूपया)
झालरापाटन	झालरापाटन	200 मीटर से अधिक असिंचित 643000	200 मीटर से अधिक असिंचित 2542229

प्रार्थीगण इसके अतिरिक्त कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने योग्य नहीं है रेफरेंस निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अवाप्तशुदा भूमि की किश्म एवं खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी उसके अनुरूप मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है तथा वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपपंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर व भूमि की लोकेशन व बाजार भाव, मोके पर भूमि की स्थिति व उपयोगिता आदि का ध्यान रखते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जो पूर्णतया सही एवं उचित है।

पत्रावली में उभयपक्षकारान वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी 02 एनएचएआई की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी एनएचएआई की लिखित बहस का अवलोकन किया गया। बहस में वकील अप्रार्थी ने बताया कि राजमार्ग पर स्थित कृषि भूमि के अकृषि रूपान्तरण हेतु इंडियन रोड कांग्रेस के दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से लागू होते हैं, दिशानिर्देशानुसार आवासीय एवं पेट्रोल पम्प हेतु भूरूपान्तरण सड़क के मध्य से 40 मीटर छोड़कर एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु सड़क के मध्य से 75 मीटर छोड़कर किया जा सकता है साथ ही केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा उक्त संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं जो भूमि संपरिवर्तन आदेशों पर स्पष्टतया लागू होते हैं यदि भू संपरिवर्तन आदेश उक्त दिशानिर्देशों व राज्य सरकार के आदेशों की अवज्ञा करते हुए जारी किये जाते हैं, तो उक्त संपरिवर्तन आदेश स्वमेव ही निरस्त व शून्य हो जाते हैं इस संबंध में माननीय उच्चत न्यायालय के श्रीमती कमलाबाई, जगेश्वर जोशी एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र

4.11.17  
जिला कलक्टर  
झालरापाटन

राज्य व अन्य एआईआर 1996 एससी 981 में यह अभिनिर्धारित किया है कि अगर कृषि भूमि भले ही नगर पालिका क्षेत्र में स्थित हो और विकास कार्य हेतु अनुज्ञप्ति भी प्राप्त कर ली गई हो तो भी कृषि भूमि ही मानी जायेगी जब तक उस पर विकास कार्य नहीं कर दिया जाता। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्षकारान की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अध्ययन एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी द्वारा जारी प्रश्नगत भूमि अवाप्ति से संबंधित जारी अवार्ड निर्णयों का अवलोकन किया गया। जारी किये गए अवार्ड एवं अवाप्ति की गई आराजियों की उपपंजीयक झालरापाटन द्वारा प्राप्त डीएलसी दरों का भी अवलोकन किया जो पूर्ण रूप से अवाप्ति की गई भूमि के सम्बंध में प्राप्त हुई है को भी देखा गया। बाद अवलोकन हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (रेफरेंस) प्रथम दृष्टतया तर्कसंगत साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि वकील प्रार्थी ने दरों के संबध में ऐसे कोई सत्यापित दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं जिस सिंचित आराजी का वकील प्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी को तहसीलदार झालरापाटन के माध्यम से सिंचित होना बताया है वह आराजी अन्य खसरा नं० में स्थित चाह से सिंचित होती है जो स्वयं के संसाधनों से सिंचित नहीं होने से प्रार्थी सिंचित आराजी के रूप में तय दरों पर मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं है जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित हो सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी झालावाड़) को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फंसल नुमां होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05<sup>03</sup>/<sub>24</sub> को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्बीट्रेटर)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़